



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30062022-236917  
CG-UP-E-30062022-236917

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ 9, 1944

No. 331]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 21 जून, 2022

**"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (नई निश्चित अंशदायी पेंशन) [संशोधन] विनियमावली, 2022"**

मासंविउ. सं. L001268839/स्टाफ 35बी.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (नई निश्चित अंशदायी पेंशन) विनियमावली, 2012 (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन करता है: -

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (नई निश्चित अंशदायी पेंशन) [संशोधन] विनियमावली, 2022 कहा जाएगा।
2. ये संशोधन 01 जनवरी, 2020 से लागू होंगे।
3. मूल विनियमावली के विनियम 4.1.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“4.1.1.अ प्रत्येक अभिदाता कर्मचारी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते, जिसका भुगतान बैंक द्वारा उसे किया गया हो, और उस पर बकाया राशि यदि कोई हो, पर बैंक द्वारा समय-समय पर तयशुदा एक निश्चित प्रतिशत का योगदान करना होगा। अपेक्षित कटौती को टियर-1 पेंशन खाते में जमा करने के लिए अभिदाता कर्मचारी द्वारा बैंक को अधिकृत किया जाएगा।

4.1.1.ब बैंक, टियर-1 पेंशन खाते में बैंक समय-समय पर निर्धारित दरों पर अंशदान/अभिदान करेगा।”

4. मूल विनियमावली के विनियम 5.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“किए जाने वाले अंशदानों/अभिदानों में मूल वेतन और महंगाई भत्ते, और उसपर बकाया राशि यदि कोई हो, का बैंक द्वारा समय-समय पर तय निश्चित प्रतिशत शामिल है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभिदाता कर्मचारी जिस दिन से इस योजना के तहत पात्र होता है, उस तारीख को और उस तारीख से पिछले अंशदानों/अभिदानों के संबंध में, संबंधित तारीखों पर प्रचलित दरों पर अपने अंशदान/अभिदान के भुगतान में चूक करता/ती है, तो बैंक उसकी कटौती करेगा।”

चित्रा कार्तिक आलै, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./150/2022-23]

प्रमाणित किया गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने 17 मई, 2022 को मुंबई में आयोजित अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (नई निश्चित अंशदायी पेंशन) [संशोधन] विनियमावली, 2022 को मंजूरी दी और अंगीकार किया।

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Lucknow, the 21st June 2022

**“Small Industries Development Bank of India (Defined Contributory New Pension) [Amendment] Regulations, 2022”**

**HRDV No. L001268839/Staff. 35B.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Defined Contributory New Pension) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as Original Regulations):-

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Defined Contributory New Pension) [Amendment] Regulations, 2022.
2. These Amendments shall come into force with effect from January 01, 2020.
3. The Regulation 4.1.1 of the Original Regulations shall be substituted by the following:

“4.1.1.A. Every Subscriber Employee shall have to make a contribution at a fixed percentage, as decided by the Bank from time to time, of Basic Pay plus Dearness Allowance (DA), and arrears thereof, if any, paid by the Bank to the Subscriber Employee, by authorizing the Bank to make requisite deduction for credit in the Tier-I Pension Account.

4.1.1.B The Bank will make contribution/subscription at the rates as decided by the Bank from time to time, in the Tier-I Pension Account.”

4. The Regulation 5.2 of the Original Regulations shall be substituted by the following:

“The contributions / subscriptions to be made includes the fixed percentage of Basic Pay plus Dearness Allowance (DA), as decided by the Bank from time to time, and arrears thereof, if any, and it is clarified that the Bank shall deduct the same in case the Subscriber Employee commits default in the payment of his / her contributions / subscriptions at the rates prevailing on respective date(s), in respect of the past contributions/subscriptions on and from the date the Subscriber Employee becomes eligible for the benefit under the Scheme”

CHITRA KARTIK ALAI, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./150/2022-23]

**Certified that the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India in its meeting held on May 17, 2022 at Mumbai had approved and adopted the Small Industries Development Bank of India (Defined Contributory New Pension) [Amendment] Regulations, 2022.**